कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदोई

पत्रांक : 163/न0पा0परि0ह0(नि0वि0)/2021

दिनांक– 09.6.2[illegible]
रजि0/दस्ती

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, हरदोई।

सेवा में,

महाप्रबन्धक–परियोजना
सी0जी0डी0 यू0पी0 क्लस्टर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
प्रथम तल, एस0ए0, 72/79 डी0डी0 पुरम
बरेली (उ0प्र0) – 243122

विषय– **हरदोई नगर सीमा में निर्धारित मार्गों (साण्डी रोड से घन्टाघर रोड व लखनऊ रोड से होते हुये सरकुलर रोड तक) जिसकी कुल लम्बाई 7.5 किमी0 में प्राकृतिक गैस लाईन लाडने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके प्राप्त पत्र संख्या – Ref No. - HPCL/CGD/HARDOI/NPP/02, Date - 21.05.2021 व Ref No. - HPCL/CGD/HARDOI/NPP/03 Date - 01.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके साथ क्रमशः संलग्न प्रशासनिक व्यय का डी0डी0 व दो बैंक गारन्टी के साथ प्राप्त हुये है। अतएव शासनादेश संख्या 760/नौ–9–2018–101ज/17 दिनांक 30 मई, 2018 नगर विकास अनुभाग – 9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की शर्तों एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थल पर कार्य कराने पिट बनाने एवं खुदाई करने के पूर्व वैरिकेटिंग करना अनिवार्य होगा, जो अतिक्रमण की परिधि में न आये।
3. प्रत्येक पिट अथवा लाइन डालने हेतु जितना कार्य किया जाये वह पूर्ण होने के पश्चात 72 घंटे के अन्दर पटरी मरम्मत कराना होगा, तथा यदि जलापूर्ति की पाईप लाईन आदि में कोई नुकसान होता है तो उसको सही करना आपका दायित्व होगा। विचलन की दशा में नगर पालिका द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है।
4. यह कार्य छः माह के अन्दर पूर्ण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त शर्तों के अनुसार आप द्वारा निर्धारित स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर छः माह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तथा नगर पालिका के अवर अभियन्ता से स्थल के सुदृढ़ीकरण कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन कराकर लिखित रूप से प्रत्येक कार्यस्थल के फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदोई

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदोई

प्रतिलिपि : 1. मान0 अध्यक्ष जी, नगर पालिका परिषद हरदोई को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली शहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (सिविल) को इन निर्देशों के साथ प्रेषित कि कार्य का उपरोक्तानुसार सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदोई

2021/6/2